

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-180

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता

*180. श्री बी. विनोद कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राज्य विद्युत बोर्डों को पुनर्गठित/विच्छिन्न करने की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वित्तीय संकट का सामना कर रहे और कोयला खरीदने या विद्युत उत्पादन करने में असमर्थ राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और
- (घ) राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत आपूर्ति किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 180 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : सभी राज्यों में, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) पुनर्गठित कर दिए गए हैं।

(ख) : एसईबी के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) : केन्द्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉमों के लिए उपलब्धियों की दृष्टि से कुछ शर्तों पर उनके वित्तीय टर्नअराउंड को सक्षम बनाने के लिए अक्टूबर, 2012 में एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अनुमोदित और अधिसूचित की थी। तथापि, चूंकि इस योजना से उक्त उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया, अतः भारत सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए 20 नवंबर, 2015 को एक अन्य योजना - उदय (उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) की शुरुआत की है। इस योजना में राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमाओं के बाहर डिस्कॉमों के ऋण वहन करने; विभिन्न उपायों, जैसे कि कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाने, उदार कोयला स्वैप्स, कोयला मूल्य को युक्तिसंगत बनाने, कोयले के ग्रेड की गिरावट में सुधार करने, अधिसूचित मूल्यों पर कोयला लिंकेज का आवंटन करने और ब्याज भार में कमी करने इत्यादि का प्रावधान है।

(घ) : उपभोक्ताओं को निर्बाधित विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान अर्थात् वर्ष 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान अर्थात् वर्ष 2016-17 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए अंतरण क्षमता की स्थापना।
- (iii) राज्यों के साथ भागीदारी में 24X7 सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना।
- (iv) दो नई योजनाओं - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के जरिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण और कृषि फीडरों का पृथक्करण।
- (v) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन।
- (vi) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाने के लिए मुद्दों को तेजी से हल करना।
- (vii) रूके हुए गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता प्रदान करना।

**भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय**

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1844

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आगे
प्रबंधन प्रणाली**

1844. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

- (ग) क्या सरकार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को सरल बनाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विशेष लाभ प्रदान करती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी कार्यक्रम (एनएमसीपी) के अंतर्गत ऐसी इकाईयों को जो ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने की इच्छुक है; सहायता देने के लिए "एमएसएमई (टीईक्यूपी) प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता" के नाम से एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार अधिकतम 10.00 लाख रुपए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी (ईईटी) के क्रियान्वयन के लिए परियोजना लागत की 25% की सीमा तक वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् सिडबी, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ोदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), केनरा बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता-ज्ञापन किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1860

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

ऊर्जा सुरक्षा

1860. श्रीमती आर. वनरोजा:

श्री एस. आर. विजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वर्ष 2019 तक सबके लिए ऊर्जा सुरक्षा और विद्युतशक्ति की उपलब्धता की दिशा में कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार पारेषण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं शुरू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या दक्षिणी पारेषण ग्रिड में लगभग 700 मेगावाट विद्युत क्षमता और जोड़ी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। सरकार देश में विभिन्न ईंधन संसाधनों का मिलाकर के उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के मांग अनुमान के आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना की गई है। इसके अतिरिक्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, अखिल भारत आधार पर इस क्षमता अभिवृद्धि के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,500 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक 18वें ईपीएस द्वारा अनुमानित विद्युत मांग को पूरी किए जाने की संभावना है।

भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ सभी (पीएफए) के लिए 24x7 विद्युत प्रदान करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एक संयुक्त पहल की है।

(ख) : जी, हाँ। सरकार पारेषण नेटवर्कों को बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजनाओं को शुरू कर रहा है। 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए रूपान्तरण क्षमता की स्थापना करने की परिकल्पना की गई थी। इसकी तुलना में अक्टूबर, 2015 तक 73,112 सीकेएम पारेषण लाइनें और 2,13,969 एमवीए रूपान्तरण क्षमता पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

(ग) : 765 केवी डी/सी औरंगाबाद-शोलापुर पारेषण लाइनों को चालू करने के साथ ही दक्षिणी ग्रिड के लिए 700 मेगावाट की अतिरिक्त पारेषण क्षमता को जोड़ा जा चुका है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1867

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाओं का ब्यौरा

1867. श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में निर्माणाधीन/प्रचलित विद्युत संयंत्रों के अंतर्गत दुर्घटनाओं का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे/घायल/कितनी संपत्ति की हानि हुई;
- (ख) अदा किए गए मुआवजे और घायलों और मृत व्यक्तियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1869

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

स्ट्रीट लाइटों को एलईडी बल्बों में परिवर्तित
करना

1869. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर में स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राज्यों को उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियां आबंटित की गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्य-वार जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त कार्यक्रम के लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : माननीय प्रधानमंत्री ने सभी परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए 5 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शुरू किया। एनर्जी एफिसिंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को इस राष्ट्रीय स्तर की पहल के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर की पहल के बारे में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बदले जाने वाली स्ट्रीट लाइटों की संख्या	3.5 करोड़ (लगभग)
संभावित वार्षिक ऊर्जा बचत	9000 मिलियन किलोवाट घण्टा (लगभग)
संस्थापित स्ट्रीट लाइट लोड की संभावित कमी	1500 मेगावाट (लगभग)
आकलित पूंजीगत निवेश (ओ एण्ड एम को छोड़कर)	35,000 करोड़ रुपये (लगभग)
वार्षिक आकलित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कमी	6.2 मिलियन टन CO ₂ (लगभग)

देश भर में विभिन्न राज्यों से एसएलएनपी और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नामित किए गए लगभग 303 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में से राजस्थान, आंध्रप्रदेश और त्रिपुरा राज्यों के 23 यूएलबी में संस्थापन कार्य पूरा हो चुका है। 30 नवंबर, 2015 के अनुसार लगभग 4.71 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

एसएलएनपी के लिए ईईएसएल सर्विस मॉडल: ईईएसएल ने अपनी निजी लागत पर (नगर पालिकाओं के किसी निवेश के बिना) परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला है और इसके परिणामस्वरूप नगर पालिका की ऊर्जा और रख-रखाव लागत में कमी का उपयोग काफी समय से ईईएसएल के पुनर्भूगतान में किया जाता है। ईईएसएल ने नगरपालिकाओं से सात वर्षों की संविदा की है जहां इसमें केवल न्यूनतम ऊर्जा बचत की ही गारंटी नहीं है बल्कि यह नगरपालिका को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निःशुल्क बदले जाने और लाइटों के अनुरक्षण की व्यवस्था भी प्रदान करता है। सर्विस मॉडल नगर पालिकाओं को विशेष पूंजीगत लागत

सहित स्ट्रीट लाइटों को उन्नत तकनीक में लाने और ईईएसएल के पुनर्भुगतान व्यय के वर्तमान स्तर पर सक्षम बनाता है। इस प्रकार स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए नगर पालिका द्वारा कोई अतिरिक्त राजस्व व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) : जैसा कि उपर्युक्त उत्तर में उल्लेख किया गया है ईईएसएल किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के वित्तपोषण का सहारा लिए बिना वाणिज्यिक आधार पर परियोजनाएं कार्यान्वित करता है। स्ट्रीट लाइटों को बदलने में ईईएसएल द्वारा किया गया निवेश ऊर्जा और रख-रखाव लागत की बचत के द्वारा काफी समय से वसूल किया जाता है।

(ङ) : देश में मार्च, 2019 तक 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलने का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1871

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं में विलंब

1871. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि अधिग्रहण में विलंब ईंधन की कमी और अन्य समस्याओं के कारण विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या उत्पादन क्षमता बढ़ी है और बढ़ने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। कुछ विद्युत परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, भूमि मुआवजे के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी मुद्दों, संविदा संबंधी समस्याओं, अन्तर-राज्य मुद्दों, भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से लागत बढ़ने का सामना कर रही हैं।

कुल 125 विद्युत परियोजनाएं देश में निर्माणाधीन हैं जिनमें से 84 परियोजनाएं लागत बढ़ने का सामना कर रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय पर चालू की जा रही हैं, सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) और ताप सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करता है जिसमें बार-बार स्थल का दौरा करना, क्रिटिकल मुद्दों का समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ समीक्षा बैठकें करना शामिल है।
- विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा प्रबोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना प्रबोधन पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है। अध्यक्ष, सीईए पीपीएमपी और सीईए के प्रबोधन प्रभाग के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।
- विद्युत मंत्रालय भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/केन्द्रीय सावर्जनिक इकाइयों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है।
- उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने के लिए पर्यावरणात्मक और वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान।
- विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला उपलब्धता को सक्षम बनाना।
- अग्र सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक होता है, "प्रगति" में भी मुद्दे उठाए जाते हैं।

(ग) : विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वे के मांग प्रक्षेपणों के आधार पर 12वीं योजना में 88,537 मेगावाट के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 12वीं योजना में नवंबर, 2015 तक कुल 69,360 मेगावाट क्षमता शामिल की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1878

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

एनएचपीसी द्वारा सीएसआर कार्य

1878. श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनएचपीसी का यह सामाजिक दायित्व है कि जिस क्षेत्र में उसकी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं वह उसका विकास करे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) एनएचपीसी द्वारा कर्नाटक सहित देश में विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में सामाजिक दायित्व के निर्वहन का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) एनएचपीसी द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत संग्रहित की गई राशि का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन क्षेत्रों का नाम क्या है जहां पर इस राशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। एनएचपीसी की सीएसआर नीति के अनुसरण में, एनएचपीसी अपनी परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों के आस-पास के स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचपीसी द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है तथा प्रमुख सीएसआर कार्यकलापों पर बजट आबंटन तथा खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। एनएचपीसी की कर्नाटक में कोई परियोजना नहीं है, और इसलिए एनएचपीसी द्वारा कर्नाटक में ऐसे कोई सीएसआर कार्यकलाप नहीं किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआर और स्थायित्व संबंधी राज्य-वार/जिला-वार व्यय राशि लाख में

क्रम सं.	राज्य	जिला	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2014-15
1	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	35.86	36.25	127.19
		रिएसी	44.78	96.95	81.44
		कथुआ	53.03	93.50	62.29
		किश्नूर	40.28	59.33	49.35
		बारामूला	36.04	82.40	15.25
		किशनगंगा	19.31	61.77	109.49
		कारगिल	19.47	49.02	85.16
		लेह	42.64	43.02	192.87
		उप-जोड़	291.42	522.25	723.04
2	हिमाचल प्रदेश	चंबा	203.48	168.94	153.83
		मंडी	41.28	85.05	72.89
		कुल्लू	24.99	35.99	25.83
		उप-जोड़	269.75	289.98	252.55
3	उत्तराखंड	देहरादून	0.00	1.50	0.00
		टिहरी गढ़वाल	34.33	52.15	64.17
		पिथौरागढ़	25.94	14.77	86.37
		चंपावत	43.35	63.02	29.33
		उप-जोड़	103.62	131.43	179.87
4	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.00	1.02	0.00
		जलपाईगुड़ी	31.82	42.05	325.45
		दाजिलिंग	141.58	919.47	315.44
		उप-जोड़	173.39	962.54	640.89
5	सिक्किम	साउथ सिक्किम	36.88	33.08	49.19
		ईस्ट सिक्किम	116.98	244.22	436.88
		उप-जोड़	153.86	277.31	486.07
6	मणिपुर	चुरा चंद्रपुर	79.48	110.73	173.33
7	असम	धेमाजी लखीमपुर सोनितपुर	229.59	519.50	2376.80
8	अरुणाचल प्रदेश	पपुम पारे	35.03	5.64	44.05
		लोअर दिवांग वैली	52.20	77.77	53.29
		तवांग	20.04	42.31	32.92
		उप-जोड़	107.27	125.72	130.26
9	अन्य राज्य	फरीदाबाद (एचआर)	229.95	107.38	87.83
		संत कबीरनगर और सिद्धार्थ नगर (यूपी)	0.00	69.80	173.30
		पठानकोट	8.76	0.00	0.00
		चंडीगढ़	0.00	4.12	0.00
		पटना	12.63	52.21	0.00
		पोर्ट ब्लेयर	0.00	15.01	0.00
		उप-जोड़	251.34	248.52	261.13
	कुल योग		1659.72	3187.98	5223.94

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1878 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	मुख्य गतिविधि/क्षेत्र	बजट आबंटन (लाख में)	किया गया व्यय (लाख में)	कुल व्यय (लाख में)
1	2012-13	शिक्षा एवं कौशल विकास अर्थात् आईटीआई का अपग्रेडेशन	3117.00	443.94	1659.72
		स्वास्थ्य एवं स्वच्छता		179.27	
		ग्रामीण विकास		686.58	
		अन्य गतिविधियां जैसे खेल, कला एवं स्थानीय संस्कृति इत्यादि		263.34	
		पर्यावरण एवं स्थायित्व		86.59	
2	2013-14	शिक्षा एवं कौशल विकास अर्थात् आईटीआई का अपग्रेडेशन	2400.00	1534.90	3187.98
		स्वास्थ्य एवं स्वच्छता		284.59	
		ग्रामीण विकास		916.06	
		सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य गतिविधियां जैसे खेल, कला एवं स्थानीय संस्कृति इत्यादि		317.28	
		पर्यावरण एवं स्थायित्व		135.15	
3	2014-15	शिक्षा एवं कौशल विकास अर्थात् आईटीआई का अपग्रेडेशन	4764.00	1142.57	5223.94
		स्वास्थ्य एवं स्वच्छता		281.49	
		ग्रामीण विकास		980.64	
		सीएसआर क्षमता निर्माण और अन्य क्रियाकलाप		15.33	
		स्वच्छ विद्यालय अभियान		2308.23	
		महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक		58.44	
		पर्यावरण एवं स्थायित्व		354.55	
		खेल		47.04	
		कला एवं संस्कृति		35.65	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1905

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)

1905. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) अपनी स्थापना से ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य विद्युत उपक्रमों के पेशेवरों को प्रशिक्षण दे रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या देश के कुछ और राज्यों में क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना और समुद्रपरीय प्रशिक्षण सहित आने वाले वर्षों में इसकी क्षमता के विस्तार का प्रस्ताव भी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, अलपुझा के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है एवं इस संस्थान में पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। एनपीटीआई ताप विद्युत, जल विद्युत, पारेषण एवं वितरण, प्रबंधन और विनियामक मामले इत्यादि के क्षेत्र में अनेक दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपक्रमों के लिए भी तदनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। विगत तीन वर्षों में आयोजित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा एवं प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की क्षमता बढ़ाने के लिए एनपीटीआई के दो नए विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, अलपुझा, केरल में और शिवपुरी, मध्य प्रदेश में एक-एक स्वीकृत किए हैं। अलपुझा, केरल में संस्थान 11 दिसंबर, 2013 को स्वीकृत किया गया है जिसकी समापन अवधि तीन वर्ष है। अलपुझा, केरल स्थित नए संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढाए जाने अपेक्षित हैं:

- स्नातकोत्तर इंजीनियरों का पाठ्यक्रम (थर्मल)
- स्नातकोत्तर इंजीनियरों का पाठ्यक्रम (हाइड्रो)
- पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम (थर्मल)
- पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हाइड्रो)
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (प्रचालन एवं अनुरक्षण पारेषण और वितरण प्रणाली)
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (प्रचालन एवं अनुरक्षण उप-पारेषण और वितरण प्रणाली)
- विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, विनियामक मामले, वाणिज्यिक मामले इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम,
- विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, विनियामक मामले, वाणिज्यिक मामले इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न मध्यकालिक पाठ्यक्रम,
- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,

- विभिन्न सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम,
- कम्प्यूटर अप्लीकेशन्स,
- सिम्यूलेटरोँ (जल विद्युत) का प्रचालन, और
- सिम्यूलेटरोँ (ताप विद्युत) का प्रचालन।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1905 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2012-13 के लिए सीपीएसयू/एसईबी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्यौरा			
क्रम सं.	कोर्स का नाम	ग्राहक संगठन का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	इंडक्शन ट्रेनिंग, आरआरवीयूएनएल	आरआरवीयूएनएल	50
2	प्रबंधक के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, डीटीएल	डीटीएल	9
3	इंडक्शन ट्रेनिंग पीजीसीआईएल	पीजीसीआईएल	124
4	एनबीपीपीपीएल, नोएडा के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम	एनबीपीपीपीएल, नोएडा	20
5	ओटीपीसी, त्रिपुरा के जीईटी के लिए टेक्निकल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग	ओटीपीसी, त्रिपुरा	7
6	पीजीसीआईएल के ईटी की इंडक्शन ट्रेनिंग	पीजीसीआईएल	86
7	इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन ट्रेनिंग - एनएचपीसी एकजीक्यूटिव	एनएचपीसी लि.	25
8	इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन ट्रेनिंग - एनएचपीसी एकजीक्यूटिव	एनएचपीसी लि.	40
9	इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन ट्रेनिंग - एनएचपीसी एकजीक्यूटिव	एनएचपीसी लि.	43
10	ईडीसी बल्लभगढ़, पीजीसीआईएल के कार्मिकों का रेजीडेंसियल ट्रेनिंग प्रोग्राम	पीजीसीआईएल	46
11	ओटीपीसी, त्रिपुरा के जीईटी के लिए टेक्निकल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग	ओटीपीसी, त्रिपुरा	10
12	पीपीएफ - एनएचपीसी से सीनीयर एकजीक्यूटिव	एनएचपीसी लि.	10
13	एनएचपीसी के लिए इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	एनएचपीसी लि.	59
14	एनएचपीसी के लिए इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	एनएचपीसी लि.	32
15	भारतीय विद्युत क्षेत्र, पोसोको का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क संबंधी एलएंडडी ट्रेनिंग प्रोग्राम	पोसोको	43
16	भारतीय विद्युत क्षेत्र, पोसोको का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क संबंधी एलएंडडी ट्रेनिंग प्रोग्राम	पोसोको	41
17	डीवीसी के इंजीनियरों के लिए पावर सिस्टम कम्प्युनिकेशन	डीवीसी	10
18	इंडक्शन प्रोग्राम	पीटीसीयूएल	23
19	एनटीपीसी के लिए कोल मिल्स और मिलिंग सिस्टम	एनटीपीसी लि.	2
20	थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंस - एनटीपीसी	एनटीपीसी लि.	18
21	प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम - डीटीएल	डीटीएल	20
22	प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम - डीटीएल	डीटीएल	23
23	पावर हाउस में टरबाइन एंड टरबाइन ऑकजीलरीज - नाल्को	नाल्को	8
24	टरबाइन और इसके ऑकजीलरीज के प्रचालन की स्कीम - एचपीजीसीएल	एचपीजीसीएल	8
25	पावर हाउस में बायलर एंड बायलर ऑकजीलरीज - नाल्को	नाल्को	12
26	पावर सिस्टम में कंडीशन मॉनीटरिंग टेक्नो. - नाल्को	नाल्को	16
27	कोल मिल एंड माइनिंग सिस्टम मेंटेनेंस - एचपीजीसीएल	एचपीजीसीएल	7
28	बायलर और इसके ऑकजीलरीज का प्रचालन - एचपीजीसीएल - नाल्को	एचपीजीसीएल, नाल्को	24
29	बायलर रोटरी मशीन एचपीजीसीएल का मेंटेनेंस	एचपीजीसीएल	5
30	पावर प्लांट में मेजर इलेक्ट्रिकलस एंड मैकेनिकल इंक्लिपमेंट्स का जनरल मेंटेनेंस प्रैक्टिस - नाल्को	नाल्को	14
31	विद्युत में ऐश हैंडलिंग सिस्टम और कूलिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस - नाल्को	नाल्को	24
32	ऑपरेटर्स एंड टैक्निशियन के लिए रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग (नाल्को)	नाल्को	19
33	ऑपरेटर्स एंड टैक्निशियन के लिए रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग (नाल्को)	नाल्को	40
34	250 मेगावाट सिमुलेटर बीबीएमबी	बीबीएमबी	6
35	250 मेगावाट सिमुलेटर बीबीएमबी	बीबीएमबी	15
36	250 मेगावाट सिमुलेटर बीबीएमबी	बीबीएमबी	5
37	250 मेगावाट सिमुलेटर बीबीएमबी	बीबीएमबी	8
38	250 मेगावाट सिमुलेटर बीबीएमबी	बीबीएमबी	6
39	टांगैडको के लिए 500/600 मेगावाट टीपीपी	टांगैडको	26
40	टांगैडको के लिए 500/600 मेगावाट टीपीपी	टांगैडको	45
41	सीएसपीटीसीएल के ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग	सीएसपीटीसीएल	22
42	एमएसईटीसीएल के प्रशिक्षुओं के लिए पीआईडी संबंधी एक सप्ताह ट्रेनिंग	एमएसईटीसीएल	14
43	मैसर्स पावरग्रिड के लिए 400 केवी कोल्ड लाइन संबंधी फैमिलियारिजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम - (एनईआर, गुवाहटी और ईआर, पटना) - आठवां बैच	पावरग्रिड	25
44	एमएसईटीसीएल के प्रशिक्षुओं के लिए पंचवर्ष इंसुलेटर डिटेक्शन संबंधी एक सप्ताह ट्रेनिंग	एमएसईटीसीएल	18
45	एमएसईटीसीएल के प्रशिक्षुओं के लिए पंचवर्ष इंसुलेटर डिटेक्शन संबंधी एक सप्ताह ट्रेनिंग	एमएसईटीसीएल	37
46	एमएसईटीसीएल के प्रशिक्षुओं के लिए पंचवर्ष इंसुलेटर डिटेक्शन संबंधी एक सप्ताह ट्रेनिंग	एमएसईटीसीएल	18
47	एमएसईटीसीएल, अकोला, महाराष्ट्र में 14वां ऑन साइट लाइव लाइन इंसुलेटर वाशिंग	एमएसईटीसीएल	20
48	एमएसईटीसीएल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 15वां ऑन साइट लाइव लाइन इंसुलेटर वाशिंग	एमएसईटीसीएल	22
49	"थर्मल पावर प्लांट" संबंधी 6 सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम	आईएल एंड एफएस - तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड और पीपीएन	10

		पावर जेनरेशन कंपनी प्रा. लि.	
50	टांगैडको, तमिलनाडु के असिस्टेंट इंजीनियर/प्रशिक्षुओं के लिए 500/600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 2 सप्ताह ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	टांगैडको	53
51	टांगैडको, तमिलनाडु के असिस्टेंट इंजीनियर/प्रशिक्षुओं के लिए 500/600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 2 सप्ताह ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	टांगैडको	55
52	टांगैडको, तमिलनाडु के असिस्टेंट इंजीनियर/प्रशिक्षुओं के लिए 500/600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 2 सप्ताह ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	टांगैडको	48
53	नाल्को के इंजीनियर्स के लिए "थर्मल पावर प्लांट के ओएंडएम" संबंधी 6 सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	10
54	नाल्को के इंजीनियर्स के लिए "थर्मल पावर प्लांट के ओएंडएम" संबंधी 6 सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	13
55	नाल्को के लिए कोल मिल्स एंड फीडर्स के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संबंधी 2 दिवसीय संक्षिप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	10
56	नाल्को के इंजीनियर्स के लिए "थर्मल पावर प्लांट के ओएंडएम" संबंधी 6 सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	10
57	नाल्को के इंजीनियर्स के लिए "थर्मल पावर प्लांट के ओएंडएम" संबंधी 6 सप्ताह ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	12
58	"ट्रांसफॉर्मर एंड सर्किट ब्रेकर" संबंधी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ओएंडएम - डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	25
59	बीपीएससीएल मैनेजमेंट प्रशिक्षु	बीपीएससीएल	3
60	बीपीएससीएल मैनेजमेंट प्रशिक्षु	बीपीएससीएल	12
61	डीवीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंद्रपुरा में एनपीटीआई द्वारा "बॉयलर ट्यूब फेलियर" संबंधी 2 दिवसीय कार्यशाला	डीवीसी	24
62	सीएसपीजीसीएल एई के लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	सीएसपीजीसीएल	79
63	सीएसपीजीसीएल जेई के लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	सीएसपीजीसीएल	39
64	टांगैडको एई के लिए 500/600 मेगावाट संबंधी ओरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	टांगैडको	50
65	बीएसएनएल कार्यालय, नागपुर में हिंदी यूनिकोड प्रोग्राम	बीएसएनएल	31
66	हिंदी यूनिकोड प्रोग्राम	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, नागपुर	21
	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या		1710

वर्ष 2013-14 के लिए सीपीएसयू/एसईबी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्यौरा

क्रम सं.	कोर्स का नाम	ग्राहक संगठन का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	एसजेवीएनएल के जूनियर ऑफिसर्स के लिए रेजीडेंसियल ट्रेनिंग प्रोग्राम	एसजेवीएनएल	34
2	पोसोको के लिए पावर सिस्टम रिलायबिलिटी	पोसोको	29
3	पोसोको के लिए पावर सिस्टम रिलायबिलिटी	पोसोको	30
4	राज्य वितरण कंपनियों आर-एपीडीआरपी के लिए रेगुलेटरी, भाग-ग क्षमता निर्माण	राज्य वितरण कंपनियां	15
5	राज्य वितरण कंपनियों के लिए क्षमता निर्माण भाग-ग, आईटी जनरल आर-एपीडीआरपी के लिए रेगुलेटरी, कैपेसिटी	राज्य वितरण कंपनियां	11
6	आईटी जनरल आर-एपीडीआरपी, भाग-ग क्षमता निर्माण	राज्य वितरण कंपनियां	19
7	पीजीसीआईएल से XVIII बैच जीई प्रशिक्षुओं के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम	पीजीसीआईएल	53
8	भारतीय विद्युत क्षेत्र, पोसोको के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क संबंधी लर्निंग एंड डेवलेपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम	पोसोको	26
9	एनएचपीसी के लिए ऑटो काड	एनएचपीसी	20
10	एनएचपीसी के लिए वीबी. नेट	एनएचपीसी	28
11	एनएचपीसी के ग्रेजुएट इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए इंडक्शन-कम-ओरियंटेशन प्रोग्राम	एनएचपीसी	19
12	थर्मल पावर प्लांट वीएसपी संबंधी रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम	विशाखापट्टनम स्टील प्लांट	12
13	विद्युत क्षेत्र पोसोको में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क	पोसोको	15
14	एनएचपीसी के लिए रिन्यूबल एनर्जी जेनरेशन - चालू होने के लिए कंसेप्ट	एनएचपीसी	19
15	पोसोको के लिए पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और कंट्रोल	पोसोको	42
16	पीजीसीआईएल से एम.टेक. इंजीनियर्स बैच	पीजीसीआईएल	61
17	पावरग्रिड इन्फॉर्मिटी डेवलेपमेंट सेंटर, होसूर में पावर फ्लो के फंडामेंटल्स संबंधी सेमिनार	पीजीसीआईएल	25
18	नाल्को के लिए पावर हाउस में टरबाइन और इसके ऑक्जीलरीज	नाल्को	16
19	आरईसीपीडीसीएल के लिए ट्रांसमिशन और वितरण संबंधी इंडक्शन ट्रेनिंग	आरईसीपीडीसीएल	17
20	नाल्को के लिए बॉयलर और इसके ऑक्जीलरीज	नाल्को	34
21	नाल्को के लिए मिल्स एंड मिलिंग सिस्टम का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस	नाल्को	20
22	नाल्को के लिए पावर प्लांट में मेजर इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल इन्फ्रामेंट्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस	नाल्को	26
23	एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संबंधी रिफ्रेशर कोर्स	एनटीपीसी	20
24	नाल्को, अंगुल के लिए बॉयलर और ऑक्जीलरीज	नाल्को	22
25	नाल्को, दमनजोडी के लिए ओएंडएम बॉयलर एंड ऑक्जीलरीज	नाल्को	12
26	नाल्को, अंगुल के लिए कोल हैंडलिंग एंड पावर ट्रीटमेंट प्लांट का ओ एंड एम	नाल्को	27
27	पीटीसीयूएल के लिए पावर सिस्टम का ओएंडएम	पीटीसीयूएल	30
28	नाल्को के लिए मेजर इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल का ओएंडएम	नाल्को	34
29	पीटीसीयूएल के लिए पावर सिस्टम का ओएंडएम	पीटीसीयूएल	30
30	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी	ओबीसी	20
31	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी	ओबीसी	23
32	नाल्को के लिए ऐश हैंडलिंग एंड कूलिंग टावर्स का ओएंडएम	नाल्को	23
33	पीटीसीयूएल के लिए पावर सिस्टम का ओएंडएम	पीटीसीयूएल	30
34	नाल्को के लिए थर्मल पावर स्टेशनों के ओएंडएम में लेटेस्ट ट्रेड्स	नाल्को	27
35	पीटीसीयूएल, उत्तराखंड के लिए पावर सिस्टम का ओएंडएम	पीटीसीयूएल	30
36	नाल्को के लिए स्टीम टरबाइन एंड ऑक्जीलरीज	नाल्को	25
37	यूजेवीएनएल के लिए हाइड्रो पावर संबंधी कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	यूजेवीएनएल	22
38	यूजेवीएनएल के लिए हाइड्रो पावर संबंधी कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	यूजेवीएनएल	25
39	यूजेवीएनएल के लिए हाइड्रो पावर संबंधी कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	यूजेवीएनएल	18
40	एनएचपीसी इंजीनियर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का इरेक्शन	एनएचपीसी	22
41	एनएचपीसी इंजीनियर्स के लिए 33/11 केवी स्विचगीयर सिस्टम	एनएचपीसी	21
42	एमएसईटीसीएल के लिए पंचवर्षी इंसुलेटर्स डिटेक्टर्स संबंधी एक सप्ताह की ट्रेनिंग	एमएसईटीसीएल	21
43	एमएसईटीसीएल के लिए 400 केवी तक की लाइनों के लिए लाइव लाइन मेंटेनेंस टैक्नीक्स यूजिंग बीएसएम	एमएसईटीसीएल	23
44	टीएक्यूए-एनपीसीपीएल, आरटीपीएस, केपीसीएल, एनटीपीसी के लिए इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटटर	टीएक्यूए-एनपीसीपीएल, आरटीपीएस, केपीसीएल, एनटीपीसी	12
45	आईएल एंड एफएस, टीएनपीसीएल के लिए पावर प्लांट फेमिलियारिजेशन	टीएनपीसीएल, आईएल एंड एफएस	20
46	ओजीपीसीएल के लिए जेनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एवं स्विचगैर्य संबंधी ऑन-साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम	ओपीजीसीएल	16
47	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	13
48	डीवीसी के लिए एडवांस्ड पावर जेनरेशन टेक.	डीवीसी	20
49	डीवीसी के लिए टीपीएस में ओएंडएम प्रैक्टिस का फंडामेंटल्स	डीवीसी	24
50	डीवीसी के लिए टीपीएस में ओएंडएम प्रैक्टिस का फंडामेंटल्स	डीवीसी	25
51	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	13
52	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	11
53	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	11

54	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	13
55	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, डीवीसी, आईपीसीएल, डीपीएल, एमपीएल, एनएसपीसीएल, पीसीबीएल इत्यादि के लिए पोसोको के साथ एसोसिएशन में "ईपीएसआईपीएस" संबंधी नेशनल सेमिनार	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, डीवीसी, डीपीएल, एनएसपीसीएल इत्यादि	120
56	डीवीसी, आरटीपीएस के लिए 600 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	16
57	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	17
58	एएसपी, डीएसपी, सीएमईआरआई, मेकोन लि., डीवीसी, सीआरपीएफ इत्यादि के लिए हिंदी कार्यशाला	एएसपी, डीएसपी, सीएमईआरआई, मेकोन लि., डीवीसी, सीआरपीएफ इत्यादि	72
59	डीवीसी कोडरमा के लिए 500 मेगावाट टीपीएस का फेमिलियारिजेशन	डीवीसी	12
60	यूपीआरबीयूएनएल से असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम	यूपीआरबीयूएनएल	14
61	यूपीआरबीयूएनएल के लिए 210 मेगावाट सिमुलेटर ट्रेनिंग	यूपीआरबीयूएनएल	14
62	बीएसएनएल में हिंदी यूनिकोड संबंधी कार्यशाला	बीएसएनएल	29
63	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., नागपुर में हिंदी यूनिकोड प्रोग्राम	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	65
64	पीएसपीसीएल, एचपीपीसीएल, जीआईपीसीएल, टीएचडीसी के ऑपरेशन इंजीनियर्स के लिए पावर प्लांट कैमिस्ट्री	पीएसपीसीएल, एचपीपीसीएल, जीआईपीसीएल, टीएचडीसी	20
	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या		1633

वर्ष 2014-15 के लिए सीपीएसयू/एसईबी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्यौरा

क्रम सं.	कोर्स का नाम	ग्राहक संगठन का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम - पीपीएफ हाइड्रो	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	40
2	इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम - पीपीएफ हाइड्रो	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	43
3	इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम - पीपीएफ हाइड्रो	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	41
4	"डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम" संबंधी ट्रेनिंग प्रोग्राम	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन लि.	19
5	एबीटी एंड पावर ट्रेडिंग	एनएचपीसी लि.	14
6	विद्युत अधिनियम, सीईआरसी और एसईआरसी	एनएचपीसी लि.	18
7	थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग	एनएचपीसी लि.	16
8	पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स	पोसोको - एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी	27
9	पावर सिस्टम रिलायबिलिटी	पोसोको - एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी	16
10	रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	22
11	रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	22
12	सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए स्पेक्लाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	पोसोको - एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी	16
13	डीएसएम एंड एनर्जी एफिशिएंसी	वेस्को, एमपीकेवीवीसीएल	26
14	रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	28
15	विद्युत क्षेत्र में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क	पोसोको - एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी	30
16	लेबर लॉ संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम	पीजीसीआईएल, गुडगांव	48
17	रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम	नाल्को	28
18	डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम	एनटीपीसी लि.	19
19	प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम	दिल्ली ट्रांस्को लि.	37
20	सिम्युलेटर ट्रेनिंग	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	11
21	पावर सिस्टम प्रोटेक्शन	विभिन्न यूटिलिटीयों से	15
22	पीएसई का हाई वोल्टेज टेस्टिंग	विभिन्न यूटिलिटीयों से	17
23	पावर सिस्टम रिलायबिलिटी	विभिन्न यूटिलिटीयों से	18
24	इलैक्ट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स का मैनेजमेंट	विभिन्न यूटिलिटीयों से	15
25	पावर सिस्टम रिलायबिलिटी	विभिन्न यूटिलिटीयों से	17
26	पीएसओ	विभिन्न यूटिलिटीयों से	35
27	पीएस कम्युनिकेशन स्काडा एंड ईएमएस	विभिन्न यूटिलिटीयों से	22
28	पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का ओएंडएम	विभिन्न यूटिलिटीयों से	14
29	पावर क्वालिटी हार्मोनिक्स एंड रिफ्रेक्टिव पावर मैनेजमेंट	विभिन्न यूटिलिटीयों से	19
30	सब-स्टेशन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग	विभिन्न यूटिलिटीयों से	11
31	ट्रांसफार्मर्स और सर्किट ब्रेकर्स का ओएंडएम	विभिन्न यूटिलिटीयों से	12
32	पीएसई का हाई वोल्टेज टेस्टिंग	विभिन्न यूटिलिटीयों से	14
33	पावर सिस्टम ऑपरेशन	विभिन्न यूटिलिटीयों से	24
34	96वां एलएलएमटी उपयोग करके हॉट स्टिक मैथड	एमएसईटीसीएल, केपीटीसीएल, एमपीपीटीसीएल, एचवीपीएनएल	28
35	400 केवी कोल्ड लाइन्स पर 9वां फेमिलियारिजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	केपीटीसीएल	21
36	400 केवी कोल्ड लाइन्स पर 10वां फेमिलियारिजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	केपीटीसीएल	20
37	एलएलएमटी उपयोग करके 12वां स्विचयार्ड मटेनेंस टैकनीक्स	एपट्रांस्को	28
38	हॉट लाइन गतिविधियों में कार्यपालकों के लिए 33वां कैम्पुल कोर्स	पावरग्रिड	14
39	400 केवी लाइनों तक 20वां लाइव लाइन मटेनेंस टैकनीक्स उपयोग करके बेयर हेंड मैथड (बीएचएम)	टीएनईबी, गेटको, एमएसईटीसीएल, एपट्रांस्को	29
40	पावर प्लांट्स का ओएंडएम	एनएलसी, तूतीकोरिन	14
41	500 मेगावाट पावर प्लांट ऑपरेशन	एनटीपीएल, तूतीकोरिन	13
42	500 मेगावाट पावर प्लांट फेमिलियारिजेशन	एनटीपीएल, तूतीकोरिन	11
43	थर्मल पावर प्लांट फेमिलियारिजेशन	मैल्को एनर्जी लि.	10
44	500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	16
45	500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	17
46	500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	17
47	500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	17
48	सब-स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ओएंडएम	वीसीसीएल	24
49	500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	26
50	नीपको के लिए 16 सप्ताह का कम्पीटेंसी डेवलेपमेंट - पहला बैच	नीपको	16
51	सब-स्टेशन डिजाइन और ओएंडएम (एमएसपीसीएल, मणिपुर) संबंधित मैनेजर्स (इलैक्ट्रिकल) के लिए 03 सप्ताह की ट्रेनिंग	एमएसपीसीएल	15
52	एटीट्यूड स्किल डेवलेपमेंट - लियजिन ऑफिसर्स - तीसरा बैच	नीपको	26
53	बॉयलर वाटर कैमिस्ट्री और स्टीम टरबाइन मटेनेंस (नीपको - ऑन साइट)	नीपको	20
54	डिस्कॉम प्रोग्राम की क्षमता निर्माण के अंतर्गत डिमांड साइड मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी संबंधित मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग	एपीडीसीएल	21
55	पावर प्लांट फेमिलियारिजेशन	पीएसपीसीएल	20
	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या		1177

2012-13 में एसईबी/सीपीएसयू से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या - 1710

एसईबी/सीपीएसयू का नाम

- बीएसएनएल
- भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड
- बोकारो पावर सप्लाय कंपनी लि.
- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.
- सेंट्रल रेलवे
- दिल्ली ट्रांस्को लि.
- दामोदर वैली कारपोरेशन
- हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
- आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लि.
- महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- नाल्को, ओडिशा
- एनएचपीसी लि.
- एनटीपीसी लि.
- एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- पोसोको
- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
- पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
- टांगैडको
- वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि.

2013-14 में एसईबी/सीपीएसयू से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या – 1633

एसईबी/सीपीएसयू का नाम

- बीएसएनएल
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
- सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, नागपुर
- डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
- दामोदर वैली कारपोरेशन
- फोरम ऑफ रेगुलेटर्स
- हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
- आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लि.
- गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कारपोरेशन लि.
- कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.
- महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- एमएनआरई
- मेकॉन लि.
- नाल्को
- एनएचपीसी लि.
- एनटीपीसी लि.
- एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लि.
- ओडिशा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि.
- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- पोसोको
- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि.
- पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
- पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.
- आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
- सतलुज जल विद्युत निगम लि.
- टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.
- यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
- उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.
- विशाखापट्टनम स्टील प्लांट
- वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

2014-15 में एसईबी/सीपीएसयू से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या - 1177

एसईबी/सीपीएसयू का नाम

- असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
- आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- बीसीसीएल
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
- दिल्ली ट्रांस्को लि.
- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
- कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.
- महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि.
- मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लि.
- विद्युत मंत्रालय
- मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
- नीपको लि.
- नाल्को, ओडिशा
- नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.
- एनएलसी तमिलनाडु पावर लि.
- एनएचपीसी लि.
- एनटीपीसी लि.
- पोसोको
- पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
- पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.
- सतलुज जल विद्युत निगम लि.
- तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
- वेस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लि., ओडिशा
- वेस्ट बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1937
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

मुक्त पहुंच नीति

1937. श्रीमती रमा देवी:
श्रीमती सकुंतला लागुरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 में अंतर्विष्ट मुक्त पहुंच नीति के प्रावधानों से संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में मुक्त पहुंच नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो इस प्रावधान के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं के साथ इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) एक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करने के लिए मुक्त पहुंच नीति के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : निर्बाध पहुँच को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(47) में परिभाषित किया गया है। उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुँच दिए जाने से संबंधित प्रावधान धारा 9(2), 38(2), 39(2), 40, 42(2) और 86(1) में रखे गए हैं। प्रावधानों के संबंधित उद्धरण अनुबंध में हैं।

(ख) से (घ) : अंतर-राज्यीय और अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली को निर्बाध पहुँच दिया जाना क्रमशः केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विनियमों द्वारा शासित होता है।

केंद्रीय आयोग ने विद्युत के अन्तर-राज्यीय पारेषण में निर्बाध पहुँच को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण में अन्तर-राज्यीय खुली पहुँच) विनियम, 2008 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी, अन्तर-राज्यीय पारेषण में दीर्घावधिक पहुँच और मध्यावधिक निर्बाध पहुँच तथा संबंधित मामले) विनियम, 2009 अधिसूचित किए हैं। अंतर-राज्यीय स्तर पर निर्बाध पहुँच पूरी तरह से प्रचलित है।

निर्बाध पहुँच वाले 3000 से अधिक उपभोक्ता विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत का क्रय कर रहे हैं। गत पांच वर्षों के दौरान अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर ली गई निर्बाध पहुँच का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कुल (द्विपक्षीय + सामूहिक)	लेनदेन की संख्या	अनुमोदित ऊर्जा (एमयू)
2008-09	15414	30521
2009-10	18128	39457
2010-11	19883	55232
2011-12	24111	66987
2012-13	32088	73153
2013-14	33917	86973
2014-15	38053	80866
2015-16 (अक्तूबर, 2015 तक)	28231	61701

(स्रोत: पोसोको/एनएलडीसी)

अन्तःराज्यीय स्तर पर निर्बाध पहुँच का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का होता है। सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों ने निर्बाध पहुँच के विनियम अधिसूचित कर दिए हैं।

प्रशुल्क में क्रॉस सब्सिडी का उच्च स्तर, निर्बाध पहुँच प्रभारों का उच्च स्तर, क्रॉस सब्सिडी प्रभार, एसएलडीसी की कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता की कमी, स्टैंडबाई प्रभार आदि ऐसे कुछ कारक हैं जो वितरण स्तर पर निर्बाध पहुँच के कार्यान्वयन की धीमी गति के लिए उत्तरदायी बताए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्बाध पहुँच के प्रावधानों, सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा तैयार किए गए विनियमों आदि ने निर्बाध पहुँच के माध्यम से प्रतिस्पर्धी वातावरण को सुनिश्चित किया है और विद्युत में अन्तर-राज्यीय व्यापार को सुगम बनाया है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1937 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्बाध पहुँच प्रदान करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान

धारा 2(47) निर्बाध पहुँच की परिभाषा : "निर्बाध पहुँच" से पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली सहित सहयुक्त सुविधाओं के किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था अभिप्रेत है:

धारा 9 आबद्ध उत्पादन :

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र का सन्निर्माण किया है और ऐसे संयंत्र का अनुरक्षण और प्रचालन करता है, अपने आबद्ध उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजनों के लिए निर्बाध पहुँच का अधिकार होगा:

परंतु ऐसी निर्बाध पहुँच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन रहते हुए होगी और पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता का, यथास्थिति, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अवधारण किया जाएगा;

परंतु यह और कि पारेषण सुविधा की उपलब्धता से संबंधित किसी विवाद का न्यायनिर्णयन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा।

धारा 38 (2) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के कृत्य निम्नलिखित होंगे -

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुँच, -

- (i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभागों के संदाय पर; या
- (ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुँच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभागों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुँच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

धारा 39 (2) राज्य पारेषण उपयोगिता के कृत्य निम्नलिखित होंगे -

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुँच, -

- (i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभागों के संदाय पर, या
- (ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुँच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभागों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुँच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

धारा 40. (पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य): किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(ग) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुँच, -

- (i) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा पारेषण प्रभागों के संदाय पर; या
- (ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुँच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभागों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुँच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

धारा 42 (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य और निर्बाध पहुँच): -

(2) राज्य आयोग निर्बाध प्रवेश ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत प्रति-सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध भी हैं) आरंभ करेगा जो नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और उत्तरोत्तर चरणों में निर्बाध पहुँच की सीमा को विनिर्दिष्ट करने में और चक्रण के लिए प्रभागों का अवधारण करने में, वह सभी सुसंगत, तथ्यों, जिनके अंतर्गत ऐसी प्रति-हैं भी अवरोध प्रचालन अन्य और सहायिकी, सम्यक रूप से विचार करेगा :

परंतु ऐसी निर्बाध पहुंच राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित चक्रण के लिए प्रभारों के अलावा किसी अधिभार का संदाय करने पर प्रति-अनुज्ञात पूर्व के जाने किए समाप्त को सहायिकीकी जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार का उपयोग, वितरण अनुज्ञासिधारी के प्रदाय क्षेत्र के भीतर करंट लेवल की प्रति को अपेक्षाओं की सहायिकी-के करने पूरालिए किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार और प्रति रीति गई की विनिर्दिष्ट द्वारा आयोग राज्य सहायिकी-से उत्तरोत्तर घटाई और समाप्त की जाएगी :

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्धहणीय नहीं होगा जहां निर्बाध पहुंच ऐसे व्यक्तिको प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

परंतु यह भी कि राज्य आयोग, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 के आरम्भ की तिथि से पांच वर्षों के पश्चात नहीं, विनियमों द्वारा, सभी उपभोक्ताओं को ऐसी निर्बाध पहुंच उपबंधित करेगा, जो विद्युत प्रदाय की अपेक्षा करता है, जहां किसी भी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम पावर एक मेगावाट से अधिक होती है।

राज्य आयोग के कार्य

धारा 86: - (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:-

- (क) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, प्रपुंज या फुटकर विद्युत के उत्पादन प्रदाय, पारेषण और चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना:

परंतु जहां उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की गई है, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त प्रवर्ग के लिए केवल चक्रण प्रभारों और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का ही अवधारण करेगा;

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1948
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।
बीबीएमबी

1948. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार रंजीत सागर बांध को पानी नहीं दिया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या पंजाब सरकार द्वारा शाहपुर कंडी बराज का निर्माण किया जा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए कि संबंधित राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : रंजीत सागर बांध (आरएसडी) सिंचाई के साथ-साथ विद्युत उत्पादन परियोजना है और इसमें से जल को छोड़े जाने वाली मात्रा का निर्धारण लाभग्राही राज्यों की सिंचाई जरूरतों के आधार पर किया जाता है। जल का छोड़ा जाना या तो जल विद्युत उत्पादन मशीनों के प्रचालन द्वारा अथवा बांध के दरवाजों को खोलकर विनियमित किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन के पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सामान्य तौर पर परियोजना से जल का निस्सरण जल विद्युत उत्पादन मशीनों के प्रचालन द्वारा विनियमित किया जाता है। जबकि, जल के वास्तविक निस्सरण को अनुमोदित निस्सरण के समान बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं, कभी-कभी निस्सरण राज्य की तत्काल विद्युत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन मशीनों को प्रचालित करना होता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक निस्सरण की तुलना में अनुमोदित निस्सरण में कुछ भिन्नता आ जाती है। रंजीत सागर बांध के आगे जल निस्सरण को विनियमित करने के लिए पंजाब सरकार एवं पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसी) द्वारा शाहपुर कंडी में एक संतुलन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध के पूरा होने के पश्चात् लाभग्राही राज्यों की सिंचाई की आवश्यकताओं के अनुसार और दक्ष तरीके से डाउनस्ट्रीम आरएसएम जल को प्रबंधित किया जा सकेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1962
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

नए विद्युत संयंत्र

1962. श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री शरद त्रिपाठी:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री लक्ष्मी नारायण यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान देश में चलाई गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थापित क्षमता कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/परियोजना-वार निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिन परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ग) क्या सरकार निकट भविष्य में और अधिक विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभ करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 11वीं और 12वीं योजना के दौरान शुरू की गई क्रमशः 1,62,100.5 मेगावाट और 9,288 मेगावाट की थर्मल और हाइड्रो परियोजनाओं की क्षमता के साथ-साथ उनके चालू होने तथा निर्माण की स्थिति के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/परियोजनावार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

थर्मल और हाइड्रो परियोजनाओं को समय से चालू करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- (i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) प्रायः स्थल दौरो तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करता है और उनका समाधान करने में मदद करता है।
- (ii) विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा बाधा वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और अन्तर्मंत्रालयी और अन्य बकाया मामलों के शीघ्र समाधान को सुगम बनाने के लिए नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।
- (iii) 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद चालू किए जाने हेतु लक्षित निर्माणाधीन थर्मल और हाइड्रो परियोजनाओं और संबद्ध पारेषण प्रणाली की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- (iv) पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान। विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया जाता है।
- (v) जब भी अपेक्षित हो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मामलों को प्रगति में भी उठाया जाता है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी, यदि वह ग्रिड के साथ संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है तदनुसार, थर्मल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय क्षेत्र की यूटिलिटियों द्वारा कुल 13600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की दस (10) थर्मल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए द्वारा 25,678 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की इत्कालीस (41) जल विद्युत स्कीमों को स्वीकृति दी गई है। क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए, 4000 मेगावाट (अस्थायी) क्षमता की प्रत्येक बारह (12) चिन्हित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव भी किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

11वीं और 12वीं योजना के दौरान ताप और जल विद्युत परियोजना का ब्यौरा जिन्हें निर्माण के लिए लिया जाना था

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	ईंधन	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
केंद्रीय क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	पोलावरम	(12x80)	हाइड्रो	केंद्रीय	960	निर्माणाधीन
अरुणाचल प्रदेश	पारे (नीपको)	(2x55)	हाइड्रो	केंद्रीय	110	निर्माणाधीन
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	250	चालू की गई
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-4	थर्मल	केंद्रीय	660	चालू की गई
		यू-5	थर्मल	केंद्रीय	660	चालू की गई
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-3	थर्मल	केंद्रीय	195	चालू की गई
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-4	थर्मल	केंद्रीय	195	निर्माणाधीन
बिहार	नवीनगर टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	केंद्रीय	250	निर्माणाधीन
बिहार	न्यू नवीनगर टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
जम्मू व कश्मीर	किशनगंगा	(3x110)	हाइड्रो	केंद्रीय	330	निर्माणाधीन
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
झारखंड	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें.	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	निर्माणाधीन
झारखंड	नार्थ कर्णपुरा टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-1	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	यू-3	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	यू-11	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-12	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-V	यू-13	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	खारगोन टीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	800	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई

तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-I	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी-II	यू-3	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी	एसटी-2	थर्मल	केंद्रीय	25.5	चालू की गई
त्रिपुरा	मोनाचक सीसीपीपी	जीटी	थर्मल	केंद्रीय	65.4	चालू की गई
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मॉड्यूल-1	थर्मल	केंद्रीय	363.3	चालू की गई
		मॉड्यूल-2	थर्मल	केंद्रीय	363.3	चालू की गई
त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी	एसटी-1	थर्मल	केंद्रीय	25.5	निर्माणाधीन
त्रिपुरा	मोनाचक सीसीपीपी	एसटी	थर्मल	केंद्रीय	35.6	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	रिहंद एसटीपीएस-III	यू-5	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-6	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीएस -II	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-IV	यू-6	थर्मल	केंद्रीय	500	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	टिहरी पीएसएस	(4x250)	हाइड्रो	केंद्रीय	1000	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	लता तपोवन	(3x57)	हाइड्रो	केंद्रीय	171	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	बिष्णुगाड पीपलकोटि	(4x111)	हाइड्रो	केंद्रीय	444	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	500	चालू की गई
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	600	चालू की गई
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-II	यू-1	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	केंद्रीय	660	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-2	थर्मल	केंद्रीय	600	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	(3x40)	हाइड्रो	केंद्रीय	120	निर्माणाधीन
राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-1	थर्मल	राज्य	800	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	राज्य	800	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-III	यू-5	थर्मल	राज्य	210	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा स्टे.-IV यू-6	यू-6	थर्मल	राज्य	600	निर्माणाधीन
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	थर्मल	राज्य	70	निर्माणाधीन
		एसटी	थर्मल	राज्य	30	निर्माणाधीन
बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	थर्मल	राज्य	250	निर्माणाधीन
		यू-9	थर्मल	राज्य	250	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	कोरवा वेस्ट स्टे.-III	यू-5	थर्मल	राज्य	500	चालू की गई
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	500	चालू की गई
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	थर्मल	राज्य	500	निर्माणाधीन
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	जीटी-1	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		जीटी2	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		जीटी-3	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		जीटी-4	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		एसटी-1	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		एसटी-2	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
गुजरात	धुवरन सीसीपीपी-III	ब्लॉक-1	थर्मल	राज्य	376.1	चालू की गई
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	जीटी+एसटी	थर्मल	राज्य	351	चालू की गई
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	ब्लॉक-1	थर्मल	राज्य	351	चालू की गई
		ब्लॉक-2	थर्मल	राज्य	351	चालू की गई
गुजरात	सिक्का टीपीएस एक्सटें.	यू-3	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
गुजरात	उकई टीपीपी एक्सटें.	यू-6	थर्मल	राज्य	500	चालू की गई
गुजरात	उतरन सीसीपीपी एक्सटें.	जीटी	थर्मल	राज्य	240	चालू की गई
		एसटी	थर्मल	राज्य	134	चालू की गई
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	250	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	राज्य	250	निर्माणाधीन
गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	थर्मल	राज्य	800	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	स्वारा कुड्डू	(3x37)	हाइड्रो	राज्य	111	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	सैंज	(2x50)	हाइड्रो	राज्य	100	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	कशांग-I	(1x65)	हाइड्रो	राज्य	65	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	कशांग-II व III	(2x65)	हाइड्रो	राज्य	130	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	शोंगटोंग करछम	(3x150)	हाइड्रो	राज्य	450	निर्माणाधीन
जम्मू व कश्मीर	बगलीहार-II (जेकेपीडीसीएल)(3x150)		हाइड्रो	राज्य	450	चालू की गई

कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III	यू-3	थर्मल	राज्य	700	निर्माणाधीन
कर्नाटक	थेरमारस टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	800	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	राज्य	800	निर्माणाधीन
केरल	थोटियार (केएसईबी)	(1x30+1x10)	हाइड्रो	राज्य	40	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें.	यू-8	थर्मल	राज्य	500	चालू की गई
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपें.	यू-8	थर्मल	राज्य	660	चालू की गई
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें.	यू-9	थर्मल	राज्य	500	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपें.	यू-10	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-9	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीएस एक्सपें.	यू-8	थर्मल	राज्य	250	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक	(2x40)	हाइड्रो	राज्य	80	निर्माणाधीन
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्रीसिंगाजी टीपीपी)	यू-1	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	यू-10	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		यू-11	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी फेज-II	यू-3	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
मेघालय	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	(2x20)	हाइड्रो	राज्य	40	निर्माणाधीन
ओडिशा	आईबी बैली टीपीपी	यू-3	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
पंजाब	शाहपुरकंडी	(3x33+3x33+1x8)	हाइड्रो	राज्य	206	निर्माणाधीन
राजस्थान	छाबडा टीपीएस एक्सटें.	यू-3	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
राजस्थान	कालीसिंध टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें.-III	जीटी	थर्मल	राज्य	110	चालू की गई
		एसटी	थर्मल	राज्य	50	चालू की गई
राजस्थान	छाबडा सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-5	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-6	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
राजस्थान	सूरजगढ़ टीपीएस	यू-7	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-8	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी (मनुगुरु)	यू-1	थर्मल	राज्य	270	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	राज्य	270	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	राज्य	270	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	राज्य	270	निर्माणाधीन
तेलंगाना	काकातिया टीपीएस एक्सटें.	यू-1	थर्मल	राज्य	600	निर्माणाधीन
तेलंगाना	कोथागुडम टीपीएस स्टे.-VII	यू-1	थर्मल	राज्य	800	निर्माणाधीन
तेलंगाना	सिंगारेनी टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	600	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	राज्य	600	निर्माणाधीन
तेलंगाना	लोअर जुराला	(6x40)	हाइड्रो	राज्य	160	निर्माणाधीन
तेलंगाना	पुलीचिताला	(4x30)	हाइड्रो	राज्य	120	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें., यू-2	यू-2	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई एक्सटें., यू-1	यू-1	थर्मल	राज्य	600	चालू की गई
तमिलनाडु	एन्नोर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	एन्नोर टीपीपी एक्सपेंशन	यू-1	थर्मल	राज्य	660	निर्माणाधीन
त्रिपुरा	बारामूरा जीटी एक्सटें.	यू-5	थर्मल	राज्य	21	चालू की गई
त्रिपुरा	रोखिया सीसीपीपी	जीटी-9	थर्मल	राज्य	21	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीएस	यू-6	थर्मल	राज्य	500	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीएस	यू-7	थर्मल	राज्य	500	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	व्यासी	(2x60)	हाइड्रो	राज्य	120	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें. यू-8	यू-8	थर्मल	राज्य	250	चालू की गई
पश्चिम बंगाल	सागरदिधी टीपीएस-II	यू-3	थर्मल	राज्य	500	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	राज्य	500	निर्माणाधीन
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली फेज-II (जीटी)	जीटी	थर्मल	निजी	233	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली फेज-II (एसटी)	एसटी	थर्मल	निजी	133	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली सीपीपी एक्सपें. स्टे.-III	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	371	चालू की गई
		मॉड्यूल-2	थर्मल	निजी	371	चालू की गई

आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी कारपोरेशन लि.	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एनर्जी प्रा. लि. फेज-II	यू-3	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एनर्जी प्रा. लि. फेज-I	यू-1	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी-I	यू-1	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	वेमागिरी सीसीपीपी-II लि.	ब्लॉक-I	थर्मल	निजी	384	चालू की गई
		ब्लॉक-II	थर्मल	निजी	384	चालू की गई
आंध्र प्रदेश	भवानापट्टु टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	पांडुरंगा सीसीपीपी	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	110.3	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	आरवीके गैस इंजन प्रा. लि.	जीई: 5-8	थर्मल	निजी	38	निर्माणाधीन
		जीई: 1-4	थर्मल	निजी	38	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	आरवीके सीसीपीपी प्रा. लि.	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	120	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-2	थर्मल	निजी	120	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-3	थर्मल	निजी	120	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-2	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	समलकोट सीसीपीपी-II	मॉड्यूल-3	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-4	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-5	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
		मॉड्यूल-6	थर्मल	निजी	400	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी-II	यू-3	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी कारपो. लि.	यू-1	थर्मल	निजी	520	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	520	निर्माणाधीन
अरुणाचल प्रदेश	गोंगरी	(2x72)	निजी	हाइड्रो	144	निर्माणाधीन
बिहार	जस इंफ्रा टीपीपी फेज-I	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी कंपनी लि.	यू-1 (तीसरा)	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-2 (चौथा)	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
छत्तीसगढ़	अंबथा भंडार टीपीपी, यू-1	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
छत्तीसगढ़	बादादरहा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
छत्तीसगढ़	बंदाखार टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
छत्तीसगढ़	चकाबुरा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	30	चालू की गई
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	135	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	135	चालू की गई
छत्तीसगढ़	काटघोरा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	35	चालू की गई
छत्तीसगढ़	राईखेड़ा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	685	चालू की गई
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	50	चालू की गई
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	135	चालू की गई
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	25	चालू की गई
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	360	चालू की गई
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी कंपनी लि.	यू-3 (दूसरा)	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
		यू-4 (5वां)	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
		यू-5 (पहला)	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
		यू-6	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-2	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी जेन.(छत्तीसगढ़ लि.)	यू-1	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन

		यू-2	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	देवेरी टीपीपी (वीसा टीपीपी) रायगढ़	यू-1	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	यू-3	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी (टीआरएन एनर्जी)	यू-1	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	300	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	राईखेडा टीपीपी	यू-2	थर्मल	निजी	685	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	सलौरा टीपीपी	यू-2	थर्मल	निजी	135	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	सिंधीतराई टीपीपी पावर लि.	यू-1	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	यू-2	थर्मल	निजी	360	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	360	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	360	निर्माणाधीन
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	जीटी-1	थर्मल	निजी	35.75	चालू की गई
		जीटी-2	थर्मल	निजी	35.75	चालू की गई
		एसटी	थर्मल	निजी	36.5	चालू की गई
गुजरात	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	400	चालू की गई
		मॉड्यूल-2	थर्मल	निजी	400	चालू की गई
		मॉड्यूल-3	थर्मल	निजी	400	चालू की गई
गुजरात	सुंद्रा टीपीपी फेज-II	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
गुजरात	सुंद्रा टीपीपी फेज-III	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
गुजरात	सुंद्रा यूएमपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	800	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	800	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	निजी	800	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	निजी	800	चालू की गई
		यू-5	थर्मल	निजी	800	चालू की गई
गुजरात	सलाया टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
गुजरात	यूनोसुजैन मेगा सीसीपीपी	मॉड्यूल-1	थर्मल	निजी	382.5	चालू की गई
हरियाणा	झज्जर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
हिमाचल प्रदेश	सोरांग	(2x50)	हाइड्रो	निजी	100	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	टंगनु रोमई	(2x22)	हाइड्रो	निजी	44	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	टिडोंग-I	-	हाइड्रो	निजी	100	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	चंजू-I	(3x12)	हाइड्रो	निजी	36	निर्माणाधीन
हिमाचल प्रदेश	बजोली होली	(3x60)	हाइड्रो	निजी	180	निर्माणाधीन
जम्मू व कश्मीर	रत्ले	(4x205 + 1x30)	हाइड्रो	निजी	850	निर्माणाधीन
झारखंड	महादेव प्रसाद टीपीपी फेज-I	यू-1	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
झारखंड	मैथॉन आरबी टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	525	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	525	चालू की गई
झारखंड	माता श्री उषा टीपीपी-फेज-I	यू-1	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
झारखंड	माता श्री उषा टीपीपी-फेज-II	यू-3	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
		यू-4	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
झारखंड	तोरी टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-1	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
		यू-4	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
		यू-5	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	यू-1	थर्मल	निजी	270	चालू की गई
महाराष्ट्र	बूटीबोरी टीपीपी फेज-II	यू-1	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	300	चालू की गई

ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	350	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	350	चालू की गई
		यू-3	थर्मल	निजी	350	चालू की गई
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	350	निर्माणाधीन
ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	यू-1	थर्मल	निजी	525	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	525	निर्माणाधीन
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	यू-1	थर्मल	निजी	700	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	700	चालू की गई
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	270	निर्माणाधीन
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-3	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
राजस्थान	कवाई टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	660	चालू की गई
सिक्किम	जोरथांग लूप	(2x48)	हाइड्रो	निजी	96	चालू की गई
सिक्किम	भास्मे	(3x17)	हाइड्रो	निजी	51	निर्माणाधीन
सिक्किम	दिक्चू	(3x32)	हाइड्रो	निजी	96	निर्माणाधीन
सिक्किम	रंगित-IV	(3x40)	हाइड्रो	निजी	120	निर्माणाधीन
सिक्किम	रंगित-II	(2x33)	हाइड्रो	निजी	66	निर्माणाधीन
सिक्किम	रोंगनीचू	(2x48)	हाइड्रो	निजी	96	निर्माणाधीन
सिक्किम	ताशीडिंग	(2x48.5)	हाइड्रो	निजी	97	निर्माणाधीन
सिक्किम	तीस्ता स्टे.-III	(6x200)	हाइड्रो	निजी	1200	निर्माणाधीन
सिक्किम	पनन	(4x75)	हाइड्रो	निजी	300	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी-II (इंड बराथ)	यू-1	थर्मल	निजी	150	चालू की गई
		यू-2		निजी	150	चालू की गई
तमिलनाडु	मेलामरुथुर टीपीपी	यू-2	थर्मल	निजी	600	निर्माणाधीन
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ टीपीपी)	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी	यू-1	थर्मल	निजी	600	चालू की गई
		यू-2		निजी	600	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	बरखेड़ा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
		यू-2		निजी	45	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	खांवरखेड़ा टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
		यू-2		निजी	45	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	कुंदरकी टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
		यू-2		निजी	45	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	मकसूदपुर टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
		यू-2		निजी	45	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	रोसा टीपीपी फेज-II	यू-3	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
		यू-4		निजी	300	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	उतराला टीपीपी	यू-1	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
		यू-2	थर्मल	निजी	45	चालू की गई
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी कं. लि.	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी कं. लि. (जे.पी. पावर वेंचर्स)	यू-1	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-2	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
		यू-3	थर्मल	निजी	660	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	बेता सीसीपीपी	जीटी+एसटी	थर्मल	निजी	225	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	गामा सीसीपीपी	जीटी+एसटी	थर्मल	निजी	225	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-I	ब्लॉक-I	थर्मल	निजी	225	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-II	जीटी+एसटी	थर्मल	निजी	225	निर्माणाधीन
उत्तराखंड	श्रीनगर (एएनपीसीएल)	(4x82.5)	हाइड्रो	निजी	330	चालू की गई
उत्तराखंड	फाटा ब्यूग (लैंको)	(2x38)	हाइड्रो	निजी	76	निर्माणाधीन

उत्तराखंड	सिंगौली भटवारी (एल एंड टी)	(3x33)	हाइड्रो	निजी	99	निर्माणाधीन
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	यू-1	थर्मल	निजी	300	चालू की गई
		यू-2		निजी	300	चालू की गई

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1973

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

पारेषण परियोजनाएं

1973. श्री देवुसिंह चौहान:

डॉ. किरिट पी. सोलंकी:

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

श्री डी.एस. राठौड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पथ अधिभार (आरओडब्ल्यू) और वन मंजूरी पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बाधित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारण बाधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारेषण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित अभिकरणों के साथ लंबित मुद्दे उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) मामले और वन स्वीकृतियों में विलंब से पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति प्रभावित हो रही है और आरओडब्ल्यू मामले परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के प्रमुख कारण बन गए हैं। उन पारेषण परियोजनाओं, जो इन कारकों से बाधित हुई हैं, का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ग) : पारेषण परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- (i) विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) के संबंध में नुकसान के मुआवजे के भुगतान हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 15.10.2015 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- (ii) विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित निगरानी। यह मामला क्रमशः मार्ग अधिकार और वन स्वीकृति मुद्दों को निपटाने के लिए राज्य प्राधिकारियों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ उठाया गया है।
- (iii) महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाओं की निगरानी प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेंस तथा समय से कार्यान्वयन) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है जिसमें परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाती है और सुधारात्मक उपाए सुझाए जाते हैं।
- (iv) एमओईएफसीसी ने स्टेज-1 (सैद्धान्तिक) अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लाइनियर प्रोजेक्ट्स के लिए कार्य करने की अनुमति देते हुए वन स्वीकृति दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- (v) एमओईएफसीसी ने वन क्षेत्र को शामिल किए जाने का लिहाज किए बिना पारेषण लाइनों सहित, लाइनियर प्रोजेक्ट्स के वन प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय एमओईएफसीसी को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) और वन/वन्य जीव स्वीकृति मामलों के कारण प्रभावित पारेषण परियोजनाओं का ब्यौरा

क. आरओडब्ल्यू मामलों के कारण विलंबित परियोजनाएं

क्रम सं.	पारेषण लाइन का नाम	राज्य
1	नीलमंगला-हॉड्डी 400 केवी एस/सी लाइन का एलआईएलओ और बहु-सर्किटों द्वारा येलहांका में सोमनहल्ली-हॉड्डी 400 केवी एस/सी लाइन का एलआईएलओ	कर्नाटक
2	400 केवी डी/सी मधुगिरी-येलहांका लाइन (क्वाड)	कर्नाटक
3	765 केवी एस/सी सलेम पूलिंग स्टेशन - मधुगिरी पूलिंग स्टेशन लाइन (प्रारंभ में 400 केवी पर प्रभारित)	कर्नाटक
4	400 केवी डी/सी धर्मपुरी (सलेम न्यू) - सोमनाहल्ली लाइन	कर्नाटक
5	400 केवी डी/सी एडामन (केएसईबी) - मुवात्तुपुझा लाइन	केरल
6	400 केवी डी/सी लाइन देहरादून - बागपत लाइन	उत्तर प्रदेश
7	400 केवी डी/सी रुडकी - सहारनपुर लाइन	उत्तर प्रदेश
8	400 केवी डी/सी लोअर सुबानसिरी - विश्वनाथ चरियाली लाइन-I	असम
9	400 केवी डी/सी लोअर सुबानसिरी - विश्वनाथ चरियाली लाइन-II	असम
10	नवी मुंबई में लोनीखंड (एमएसईबी) - कलवा (एमएसईबी) 400 केवी एस/सी लाइन का एलआईएलओ	महाराष्ट्र
11	400 केवी डी/सी सिलचर - मेलरियट (न्यू) लाइन (132 केवी पर प्रभारित की जानी है)	मिजोरम

ख. वन स्वीकृति के कारण विलंबित परियोजनाएं

1	400 केवी डी/सी किशनपुर - न्यू वनपोह लाइन	जम्मू व कश्मीर
2	400 केवी डी/सी औरंगाबाद - बाँयसर लाइन (क्वाड)	महाराष्ट्र
3	नवासरी-नवी मुंबई (बाँयसर) 400 केवी डी/सी लाइन	महाराष्ट्र
4	काला-कुडुस 400 केवी डी/सी लाइन	महाराष्ट्र
5	अंगुल-झारसुगुडा 765 केवी डी/सी लाइन	ओडिशा

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1981

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

बंद पड़े विद्युत संयंत्र

1981. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उत्पादन संयंत्र किस तारीख से और कितनी अवधि से बंद पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) उक्त कारणों से उत्पादन में कितने मूल्य की हानि हुई है;
- (ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : 3709 मेगावाट क्षमता के उन विद्युत संयंत्रों जिन्होंने चालू वर्ष के दौरान विद्युत का उत्पादन नहीं किया है, का कारणों सहित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 (अप्रैल से नवंबर, 2015) के दौरान शून्य उत्पादन वाले सरकारी क्षेत्र के स्टेशन

ईंधन	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.11.2015 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता मेगावाट	जबरन बंदी की तिथि	जबरन बंदी के कारण
हाइड्रो	एचपीएसईबी	संजय एचपीएस	120	22.01.15	220/22 केवी, 10 एमवीए स्टेशन ट्रांसफार्मर में आग लगना
	एपजैको	नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	90	01.04.15	अन्तः प्रवाह की कमी और जलाशय का कम स्तर
	टीएसजैको	नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60	01.04.15	अन्तः प्रवाह की कमी और जलाशय का कम स्तर
	टीएसजैको	पोचमपड एचपीएस	27	01.04.15	अन्तः प्रवाह की कमी और जलाशय का कम स्तर
	कुल		297		
कोयला	बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	210	अप्रैल, 13	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण। मरम्मत कार्य।
	कुल		210		
प्राकृतिक गैस	जीएसईसीएल	पीपावाव सीसीपीपी	702	फरवरी, 14	गैस की कमी
	जीएसईसीएल	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	मई, 12	गैस की कमी
	आरजीपीपीएल	रत्नागिरी सीसीपीपी-I	740	जुलाई, 13	गैस की कमी
		रत्नागिरी सीसीपीपी-II	740	सितंबर, 13	गैस की कमी
	कुल		2533		
हाईस्पीड डीजल	जेकेएसपीडीसी	पम्पोर जीपीएस (लिट्कि.)	175	मार्च, 12	अकिफायती प्रचालन
	डब्ल्यूबीपीडीसी	हल्दिया जीटी (लिट्कि.)	40	जुलाई, 02	अकिफायती प्रचालन
		कसबा जीटी (लिट्कि.)	40	जून, 02	अकिफायती प्रचालन
	कुल		255		
नापथा	डीवीसी	मैथॉन जीटी (लिट्कि.)	90	जून, 06	अकिफायती प्रचालन
			90		
डीजल	केपीसीएल	येलहांका (डीजी)	127.92	सितंबर, 13	अकिफायती प्रचालन
	ईडी, मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	36	अगस्त, 09	अकिफायती प्रचालन
	कुल		163.92		
बहु ईंधन	एपीजीपीसीएल	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60	जुलाई, 99	अकिफायती प्रचालन
			60		
न्यूक्लियर	डीएई	डीएई (राजस्थान)	100	09.10.04	जेनरेटर अर्थ फाल्ट/विनियामक स्वीकृति
	कुल		100		
	सकल योग		3708.92		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2002

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

चीनी कंपनियों को विद्युत ठेके

2002. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत के बेहतर वितरण और प्रबंधन हेतु आंकड़ा संकलन हेतु चीनी कंपनियों को विद्युत ठेके देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या घरेलू उद्योग को यह चिंता है कि इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और ऐसे ठेके इन कंपनियों को न प्रदान करने की सलाह दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु की राज्य विद्युत यूटिलिटियों ने 17 नगरों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (स्काडा) का कार्यान्वयन मैसर्स डोंगफेंग इलेक्ट्रोनिक्स, जोकि पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत चीन से विधिवत सूचीबद्ध कंपनी है, को अवार्ड किया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग एसोसिएशन (आईईईएमए) ने उक्त चीनी कंपनी को स्काडा जैसी परियोजनाओं को अवार्ड करने पर शंका व्यक्त की थी। विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा संबंधित यूटिलिटी द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2004

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग

2004. श्री फगन सिंह कुलस्ते:

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समझौते की शर्तों सहित उन सार्क (एसएएआरसी) देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग हैं;

- (ख) क्या विद्युत के संबंध में सार्क देशों के साथ कोई समझौता करने का प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी योजना/रणनीति को अंतिम रूप प्रदान किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उन देशों के नाम क्या है जिनके साथ ऐसा सहयोग विचाराधीन है और इसे कब तक अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) से (ङ) : वर्तमान में, किसी अन्य सार्क देश के साथ समझौता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत गणराज्य सरकार और पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के प्रारूप को विदेश मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2014 में पाकिस्तान के साथ साझा किया गया था। पाकिस्तान के उत्तर अब भी प्रतीक्षित है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2004 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग वाले सार्क देशों का, करार की शर्तों सहित ब्योरा

बांग्लादेश : विद्युत उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा दक्षता और विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग के संबंध में दिनांक 11 जनवरी, 2010 को बांग्लादेश गणराज्य (जीओबी) और भारत सरकार (जीओआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अक्तूबर, 2013 में, भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा पार अन्तरसंपर्क स्थापित किया गया था। वर्तमान में, बांग्लादेश अन्तरसंपर्क के माध्यम से भारत से 500 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) ने बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, खुलना डिब्रीजन में रामपाल, जिला बेगरहट में 1320 (2x660) मेगावाट की विद्युत परियोजना के विकास के लिए ढाका, बांग्लादेश में एनटीपीसी और बीपीडीबी के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) को निगमित किया गया है।

भूटान : भारत और भूटान ने जुलाई, 2006 में जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने भूटान में 1416 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की तीन जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) अर्थात् चुरवा, कुरिछू और ताला का निर्माण किया है जो अपने-अपने द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं। कुल 2940 मेगावाट की तीन परियोजनाएं (1200 मेगावाट पुनातसांग्चु-I, 1020 मेगावाट पुनातसांग्चु-II और 720 मेगावाट मांगदेचु जलविद्युत परियोजनाएं) वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। कुल 2120 मेगावाट की चार अन्य जल विद्युत परियोजनाओं (600 मेगावाट खोलोनगचु, 180 मेगावाट बुनाखा, 570 मेगावाट वॉगंचु और 770 मेगावाट चमकरचू) को संयुक्त उद्यम तरीके के अंतर्गत निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है।

नेपाल : भारत और नेपाल द्वारा दोनों देशों की विद्युत मांगों को पूरा करने के लिए वर्ष 1971 से एक विद्युत विनिमय करार किया जा चुका है। विद्युत व्यापार के लिए 132 केवी, 33 केवी और 11 केवी पारेषण अन्तरसंपर्कों का प्रयोग किया जाता है।

काठमांडू में दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 को "इलैक्ट्रिक विद्युत व्यापार, सीमापार पारेषण अन्तरसंपर्क और ग्रिड संबद्धता" के संबंध में द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मैसर्स जीएमआर द्वारा 900 मेगावाट अपर करनाली एचईपी तथा मैसर्स एसजेवीएन द्वारा 900 मेगावाट अरूण-III एचईपी के लिए परियोजना विकास समझौतों पर क्रमशः सितंबर और नवंबर, 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। 5600 मेगावाट की बहु-उद्देशीय परियोजना के लिए अगस्त, 2014 में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।

श्रीलंका : भारत-श्रीलंका विद्युत ग्रिडों के अन्तरसंपर्क के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु दिनांक 09.06.2010 को भारत सरकार, श्रीलंका सरकार, पीजीसीआईएल और सीलोन विद्युत बोर्ड (सीईबी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त परियोजना के लिए पीजीसीआईएल और सीईबी, श्रीलंका को निष्पादन एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया था।

व्यवहार्यता अध्ययन किया गया और मदुरई (भारत) तथा न्यू अनुराधापुरा (श्रीलंका) के बीच 120 किलोमीटर लंबी सबमेरीन केबल सहित 360 किलोमीटर लंबी 2x500 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल लाइन के लिए रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके पश्चात, सबमेरीन केबल की लंबाई को कम करने और इस प्रकार अन्तरसंपर्क की समग्र परियोजना लागत में कमी करने के लिए वैकल्पिक मार्ग हेतु एक अन्य अध्ययन भी किया गया था। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के बारे में संदेह व्यक्त किया था।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 6 सितंबर, 2011 को एनटीपीसी और सीलोन विद्युत बोर्ड (सीईबी) के बीच संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रवर्तकों द्वारा 50:50 के अनुपात में इक्विटी निवेश सहित त्रिन्कोमल्ली, श्रीलंका के समीप 2x250 मेगावाट की कोयला आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए, कोलम्बो में "त्रिन्कोमल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल)" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2024
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

मिशन एलईडी बल्ब

2024. श्री पी. करुणाकरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बिजली के उपयोग को कम करने के लिए मिशन एलईडी बल्ब और मुफ्त एलईडी बल्ब की आपूर्ति शुरू की गई है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं;
- (ख) अभी तक बचाई गई कुल ऊर्जा/विद्युत उपभोग का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में लोगों के बीच एलईडी बल्ब के उपयोग की जागरूकता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों/कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), की किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निःशुल्क एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। ईईएसएल द्वारा उपभोक्ताओं को 10 रुपए प्रति माह की दर पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं और शेष राशि की वसूली बिजली के बिलों में मासिक किश्तों के माध्यम से वसूल की जानी है।

(ख) : मार्च, 2019 तक देश में 77 करोड़ बल्बों को एलईडी से बदले जाने का लक्ष्य है। बल्बों को एलईडी बल्बों के बदले जाने के परिणामस्वरूप नीचे दिए अनुसार बचत होगी :-

- प्रतिवर्ष बचत की गई ऊर्जा - 100 बिलियन यूनिट (लगभग)
- बचाई गई व्यस्ततम मांग - 20000 मेगावाट (लगभग)
- प्रतिवर्ष लागत बचत - 40,000 करोड़ रुपए (लगभग)
- CO₂ में प्रतिवर्ष कमी - 80 मिलियन टन CO₂ (लगभग)

(ग) : एलईडी बल्बों का प्रयोग करने के लिए देश में लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नीचे दिए अनुसार कई उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं:-

- (i) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) ने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं में एलईडी बल्बों की स्टार रेटिंग के बारे में विज्ञापन जारी किए हैं।
- (ii) एलईडी के संबंध में 20 भाषाओं में 15 मिनट का एक रेडियो कार्यक्रम "बचत के सितारे दोस्त हमारे" के एपिसोड ऑल इंडिया रेडियो एफएम गोल्ड और रेनबो पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
- (iii) सार्वजनिक सुविधा स्थलों, होटिंगों, दिल्ली मेट्रो के अंदर पैनलों, एयर इंडिया के बोर्डिंग पास, बिजली के बिलों, बस क्यू शैल्टरों आदि पर भी एलईडी संबंधी संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं।

- (iv) बीईई ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14-27 नवंबर, 2015 के दौरान आयोजित अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे विभिन्न कार्यकलापों के जरिए एलईडी के महत्व को प्रदर्शित किया, दर्शकों को एलईडी के बारे में जागरूक करने के लिए बीईई में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए और प्रदर्शनी के दौरान दर्शकों को एलईडी संबंधी सूचना-पत्र भी वितरित किए गए।
- (v) प्रिन्ट, रेडियो, टेलीविजन और इन्टरनेट सहित संपर्क साधनों के जरिए उपभोक्ताओं द्वारा एलईडी बल्बों का प्रयोग करने के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) ने कई कदम उठाए हैं।
- (vi) ईईएसएल द्वारा ILEDTHEWAY.IN वेबसाइट शुरू की गई है जहां एलईडी का प्रयोग करने के लाभों के बारे में आम जनता को सूचित किया जाता है और एलईडी बल्बों का प्रयोग करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2031

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच
अंतर

2031. श्री हरीश मीना:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में उपभोक्ताओं को विद्युत उत्पादन की लागत और विद्युत के विक्रय मूल्य के बीच व्यापक अंतर हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या विद्युत कम्पनियों कोल इंडिया की पहले ही लगभग 8,000 करोड़ रुपये की ऋणी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के प्रति इकाई मूल्य और उपभोक्ताओं को इसके विक्रय मूल्य के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। उत्पादन लागत/उत्पादन प्रशुल्क तथा अंतिम उपभोक्ता को विक्री मूल्य/आपूर्ति की लागत के बीच अंतर होता है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि उत्पादन प्रशुल्क के अतिरिक्त, अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति की लागत में पारेषण प्रभार, पारेषण हानियां, वितरण नेटवर्क प्रभार, वितरण हानियां तथा वाणिज्यिक हानियां इत्यादि शामिल होती हैं। वर्ष 2013-14 के लिए राज्य-वार आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व अनुबंध-I में है।

(ख) : कोयला मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.11.2015 की स्थिति के अनुसार, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) सहित राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत कंपनियों पर, कोल इंडिया लि. को देय 8279.19 करोड़ रुपये (अंतिम) की राशि बकाया है। इसके ब्यौरे अनुबंध-II में हैं।

(ग) : सरकार, उपभोक्ता को की जाने वाली विद्युत की आपूर्ति की कुल लागत को कम करने की दृष्टि से, उपयुक्त नीतिगत संरचना और कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवसाय में दक्षता को बढ़ावा दे रही है तथा साथ ही तकनीकी हानियों को कम करने के लिए वितरण तथा पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रशुल्क निर्धारण करने की नीतिगत संरचना के साथ-साथ ये उपाय प्रशुल्क दरों को कम करने में सहायक होंगे।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2013-14			
			एसीएस*	औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	गैप (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	
पूर्वी	बिहार	बीएसईवी				
		एनबीपीडीसीएल	4.84	4.71	0.13	
		एसबीपीडीसीएल	5.17	4.86	0.31	
	बिहार कुल			5.04	4.80	0.24
	झारखण्ड	जेएसईवी	5.52	3.79	1.73	
	झारखण्ड कुल			5.52	3.79	1.73
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	3.10	3.49	(0.39)	
	सिक्किम कुल			3.10	3.49	(0.39)
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	4.89	4.90	(0.01)	
	पश्चिम बंगाल कुल			4.89	4.90	(0.01)
	ओडिशा	नेसको		3.93	3.84	0.09
		सेसको		3.33	3.29	0.04
		वेसको		3.92	3.79	0.13
		सेसू		3.91	3.66	0.25
ओडिशा कुल			3.84	3.69	0.15	
पूर्वी कुल			4.68	4.42	0.26	
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	8.03	1.43	6.59	
	अरुणाचल प्रदेश कुल			8.03	1.43	6.59
	असम	एपीडीसीएल	5.16	4.15	1.00	
	असम कुल			5.16	4.15	1.00
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	5.20	2.20	3.01	
	मणिपुर कुल			5.20	2.20	3.01
	मेघालय	एमईसीएल				
		एमईपीडीसीएल		3.39	3.21	0.18
	मेघालय कुल			3.39	3.21	0.18
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	6.35	2.34	4.00	
	मिजोरम कुल			6.35	2.34	4.00
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	4.57	1.54	3.03	
	नागालैंड कुल			4.57	1.54	3.03
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	3.74	3.27	0.47	
त्रिपुरा कुल			3.74	3.27	0.47	
पूर्वोत्तर कुल			4.94	3.48	1.46	
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	6.10	6.11	(0.01)	
		बीएसईएस यमुना	6.52	6.54	(0.02)	
		टीपीडीडीएल	4.97	5.34	(0.38)	
	दिल्ली कुल			5.83	5.96	(0.13)
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	4.96	4.34	0.62	
		यूएचबीवीएनएल	5.55	4.86	0.69	
	हरियाणा कुल			5.22	4.57	0.66
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईवी लिमिटेड	4.83	4.77	0.07	
	हिमाचल प्रदेश कुल			4.83	4.77	0.07
	जम्मू व कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	3.20	1.32	1.88	
	जम्मू व कश्मीर कुल			3.20	1.32	1.88
	पंजाब	पीएसपीसीएल	4.71	4.77	(0.06)	
	पंजाब कुल			4.71	4.77	(0.06)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	7.14	4.20	2.94	
		जेडीवीवीएनएल	6.49	3.80	2.69	
		जेवीवीएनएल	6.16	3.79	2.37	
	राजस्थान कुल			6.54	3.90	2.64
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	6.18	3.19	2.99	
		केसको	6.38	4.48	1.90	
		एमवीवीएन	6.18	3.89	2.29	
		पश्चिम वीवीएन	5.71	4.39	1.32	
	उत्तर प्रदेश कुल			6.53	4.11	2.42
	उत्तराखण्ड			6.12	3.96	2.16
उत्तराखण्ड	उत्तरांचल पीसीएल	3.09	3.36	(0.27)		
उत्तराखण्ड कुल			3.09	3.36	(0.27)	
उत्तरी कुल			5.53	4.29	1.24	
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	4.90	4.65	0.25	
		एपीईपीडीसीएल	4.62	4.52	0.10	

	एपीएनपीडीसीएल	4.71	4.68	0.03	
	एपीएसपीडीसीएल	4.94	4.74	0.20	
आंध्र प्रदेश कुल		4.83	4.65	0.18	
कर्नाटक	वेस्कॉम	4.40	4.43	(0.03)	
	चेस्कॉम	3.93	3.82	0.10	
	जेस्कॉम	4.00	4.04	(0.03)	
	हेस्कॉम	4.75	4.20	0.55	
	मेस्कॉम	4.81	4.81	(0.00)	
कर्नाटक कुल		4.40	4.30	0.09	
केरल	केएसईवी	4.80	4.92	(0.11)	
	केएसईवीएल	5.41	5.38	0.03	
केरल कुल		5.07	5.12	(0.05)	
पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	3.82	3.61	0.21	
पुडुचेरी कुल		3.82	3.61	0.21	
तमिलनाडु	टैनजेडको	6.52	4.71	1.81	
तमिलनाडु कुल		6.52	4.71	1.81	
दक्षिणी कुल		5.28	4.62	0.66	
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	3.43	3.15	0.28
	छत्तीसगढ़ कुल		3.43	3.15	0.28
	गोवा	गोवा पीडी	3.35	3.34	0.01
	गोवा कुल		3.35	3.34	0.01
	गुजरात	डीजीवीसीएल	5.36	5.41	(0.05)
		एमजीवीसीएल	4.55	4.58	(0.03)
		पीजीवीसीएल	3.71	3.72	(0.01)
		यूजीवीसीएल	3.93	3.94	(0.01)
	गुजरात कुल		4.21	4.23	(0.02)
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	4.89	3.33	1.56
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	4.89	3.89	1.00
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	4.94	3.73	1.21
	मध्य प्रदेश कुल		4.90	3.65	1.25
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	5.34	5.22	0.12
	महाराष्ट्र कुल		5.34	5.22	0.12
पश्चिमी कुल		4.72	4.40	0.32	
सकल योग		5.15	4.41	0.73	

* आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) में विद्युत उत्पादन की लागत, पारेषण प्रभार और हानियां, वितरण प्रभार और हानियां शामिल हैं।

(स्रोत: पीएफसी)

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2031 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कोल इंडिया लिमिटेड को भुगतान किए जाने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत कंपनियों के बकाए का ब्यौरा

एसईवी और विद्युत कंपनी का नाम	01.04.2015 की स्थिति के अनुसार शेष			नवंबर, 2015 के दौरान					(अनंतिम) वर्ष के लिए उत्तरोत्तर (रुपए करोड़ में)				30.11.2015 की स्थिति के अनुसार			
	विवादित	अविवादित	कुल	बिलिंग	वास्तविक वसूली	ईवी रॉयल्टी, सेस समायोजन	कुल वसूली	अन्य समायोजन	बिलिंग	वास्तविक वसूली	ईवी रॉयल्टी, सेस समायोजन	कुल वसूली	अन्य समायोजन	विवादित	अविवादित	कुल
एनटीईसीएल				38.90	34.36		34.36		226.62	212.57		212.57	-14.05			
डीवीसी	184.54	1,188.60	1,373.14	348.55	285.65	30.00	315.65		3,199.82	2,722.68	277.19	2,999.87	-51.03	226.90	1,295.16	1,522.06
एनटीपीसी	901.42	1,069.84	1,971.26	2,002.57	2,075.12		2,075.12		15,717.69	15,985.38		15,985.38	-989.64	174.54	539.39	713.93
केबीयूएनएल		9.03	9.03	9.01	11.70		11.70		141.00	109.70		109.70	-40.33	0.02	-0.02	
एपीसीपीएल (अरावली)				34.49	30.00		30.00		491.47	441.00		441.00	-50.47		0.00	0.00
डीसीसी		5.35	5.35						6.57	8.23		8.23			3.69	3.69
एनटीपीसी सेल									150.02	150.02		150.02				
कुल सीपीयू	1,085.96	2,272.82	3,358.78	2,433.52	2,436.83	30.00	2,466.83		19,933.19	19,629.58	277.19	19,906.77	-1,145.52	401.46	1,838.22	2,239.68
बीएसईवी (बीएसपीएचसीएल)	181.19	22.05	203.24						7.45				-7.44	181.48	21.77	203.25
जेएसईवी	49.96	161.65	211.61	4.19					33.73	40.00		40.00	-0.33	46.36	158.65	205.01
यूपीआरवीयूएनएल	45.30	578.38	623.68	345.16	358.47		358.47		2,909.13	3,172.01	40.53	3,212.54	-27.89	43.52	248.86	292.38
पीएसपीसीएल	72.87	59.39	132.26	101.35	156.17		156.17		898.27	937.75		937.75	0.32	74.59	18.51	93.10
टैनजेडको (टीएनईवी)	78.98	7.68	86.66	200.34	169.09		169.09		1,524.80	1,394.42		1,394.42	-47.34	83.21	86.49	169.70
एचपीजीसीएल	10.87	90.28	101.15	209.67	187.93		187.93		1,049.49	918.92		918.92	-135.85	24.17	71.70	95.87
आरआरवीयूएनएल	48.39	387.48	435.87	144.00	171.35		171.35		1,362.60	1,142.55		1,142.55	50.54	48.39	658.07	706.46
महाजंको (एमएसपीजीसीएल)	17.53	631.98	649.51	638.66	623.48		623.48		4,596.85	4,742.10		4,742.10	-169.31	16.62	318.33	334.95
एमपीपीजीसीएल	106.37	1,066.83	1,173.20	284.08	353.71		353.71		2,107.07	2,482.17		2,482.17	-35.31	106.37	656.42	762.79
सीएसपीजीसीएल	26.71	460.91	487.62	115.97	90.29		90.29		934.55	949.77		949.77	-2.17	26.71	443.52	470.23
जीएसईसीएल	3.95	127.77	131.72	201.31	170.18		170.18		1,141.05	1,336.89		1,336.89	89.50	3.95	21.43	25.38
डब्ल्यूबीएसईवी	1.29		1.29											1.29		1.29
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	209.35	1,316.03	1,525.38	272.69	238.00	0.50	238.50		2,243.27	2,033.00	82.11	2,115.11	-23.85	31.79	1,597.90	1,629.69
एपीजंको	0.16	3.50	3.66	60.32	49.52		49.52		500.34	339.47		339.47	-133.16	0.16	31.21	31.37
केपीसीएल		70.40	70.40	57.24	38.25		38.25		591.66	474.29		474.29	-8.76		179.01	179.01
डीपीएल	22.13	65.24	87.37	42.11	43.40		43.40		235.32	237.05		237.05	-10.39	22.89	52.36	75.25
आईपीजीसीएल (डीवीवी)	0.15	16.71	16.86						7.29	6.60		6.60		0.15	17.40	17.55
डीपीएस	2.50	-1.42	1.08											2.50	-1.42	1.08
टीएस जंको					0.37		0.37		0.76	8.48		8.48	7.72			
टीवीएनएल	18.49	538.77	557.26	30.33	19.80		19.80		269.48	220.80		220.80		20.99	584.95	605.94
ओपीजीसी	2.11	4.07	6.18	19.42	29.30		29.30		191.66	213.00		213.00	17.27	2.11		2.11
कुल राज्य जंको	898.30	5,607.70	6,506.00	2,726.84	2,699.31	0.50	2,699.81		20,604.77	20,649.27	122.64	20,771.91	-436.45	737.25	5,165.16	5,902.41
वेदांता (बान्को)				5.91	8.82		8.82	2.91	38.37	49.68		49.68	11.31			
सीईएससी	0.18	9.68	9.86	58.04	78.31		78.31		511.36	499.26		499.26	-11.16	0.26	10.54	10.80
टोरेट पावर (एईसी)		0.37	0.37	31.30	10.99		10.99		151.67	135.72		135.72	3.99		20.31	20.31
रिवायंस (बीएसईएस)	0.12	3.01	3.13	19.12	24.42		24.42	5.30	181.13	192.47		192.47	8.21	0.12	-0.12	
सीएलपी पावर (एमजीटीपीएस/झज्जर सहित)				67.43	53.00		53.00		438.94	321.70		321.70	-110.98		6.26	6.26
बोकारो पीएस	0.16		0.16	41.57	15.00		15.00		323.02	245.04		245.04	-66.89	0.13	11.12	11.25
रिवायंस (रोसा पीएस)				84.28	80.58		80.58		544.90	565.90		565.90	21.00			
सीईएससी (हल्दिया ई)				19.96	17.30		17.30		133.14	110.89		110.89	-13.51		8.74	8.74
वर्धा पी.				30.40	26.63		26.63		224.65	194.55		194.55	-30.10			

बजाज पी.				40.68	38.63		38.63		224.52	220.59		220.59	-3.93		0.00	0.00
मैथॉन पावर	0.03		0.03	77.38	82.89		82.89		378.55	375.70		375.70	0.12	1.88	1.12	3.00
अदानी पावर				38.73	38.73		38.73		403.31	403.31		403.31				
केएसके महानदी				27.57	27.57		27.57		201.69	201.69		201.69				
डीवी पावर				1.41	1.41		1.41		9.52	9.52		9.52				
रतन इंडिया (इंडिया ब्रुल)				20.51	20.51		20.51		196.98	196.98		196.98				
एम.बी. पावर				10.85	10.85		10.85		85.64	85.64		85.64				
एमको एनर्जी				12.91	12.91		12.91		150.06	150.06		150.06				
नावा पावर				19.77	19.77		19.77		300.71	300.71		300.71				
लैको				9.31	9.31		9.31		90.85	90.85		90.85				
जेपी बीना				9.36	1.32		1.32		23.40	15.36		15.36			8.04	8.04
जिंदल पावर									28.05	28.05		28.05				
मारुति क्लीन कोल									2.41	2.41		2.41				
अदानी पावर				80.96	78.61		78.61		727.35	692.77		692.77	-34.58			
वेदांता (एसएसएल)				67.76	61.03		61.03		285.38	286.12		286.12	46.32		45.58	45.58
जीएमआर		9.03	9.03	25.37	23.75		23.75		157.82	164.54		164.54	6.72		9.03	9.03
एनटीपीएल				7.01	9.16		9.16		9.24	9.16		9.16	-0.08			
हिंदुजा एनपीएल				6.01	12.54		12.54		6.01	12.54		12.54	6.53			
थर्मल पी-टेक				12.09	9.90		9.90		72.95	55.76		55.76	-17.19			
तलवंडी सावो				25.77	20.00		20.00		135.84	56.00		56.00	-65.75		14.09	14.09
प्रयागराज (जेपी)				3.40					19.35	46.03		46.03	26.68			
कुल अन्य विद्युत	0.49	22.09	22.58	854.86	793.94		793.94	8.21	6,056.81	5,719.00		5,719.00	-223.29	2.39	134.71	137.10
कुल विद्युत	1,984.75	7,902.61	9,887.36	6,011.82	5,930.08	30.50	5,960.58	8.21	46,575.42	45,951.82	399.83	46,351.65	-1,831.94	1,141.10	7,138.09	8,279.19

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2046

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2046. श्री अभिजित मुखर्जी:

श्री भीमराव बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान मंजूर किए गए तथा सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;
- (ग) प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और
- (घ) इन प्रस्तावों का सरकार द्वारा कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कम्पनी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है यदि वह ग्रिड के साथ सम्बद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात् अप्रैल 2012 के बाद) के दौरान प्राप्त जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात् अप्रैल, 2012 के बाद) के दौरान प्राप्त 9 जल विद्युत स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और इन स्कीमों (30 नवंबर, 2015 तक) का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात् अप्रैल, 2012 के बाद) के दौरान प्राप्त 7 स्कीमों, जो कि जाँच करने पर अधूरी पाई गई थीं, को परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दिया गया है।

इस समय 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सीईए में स्वीकृति हेतु जाँचाधीन हैं (गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2012 के बाद प्राप्त)। इन स्कीमों का ब्यौरा (30 नवंबर, 2015 तक) **अनुबंध-III** में दिया गया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण यथासाध्य सभी प्रकार से पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 150 कार्य दिवसों (सीईए/केन्द्रीय जल आयोग/जियोलाॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया/सेन्ट्रल ऑयल और मेटिरियल रिसर्च स्टेशन आदि के अवलोकनो के अनुपालन के लिए विकासकर्ता द्वारा लिए गए समय को छोड़कर) की अवधि के भीतर स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास करता है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2046 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमों की सूची जिनके लिए डीपीआर अप्रैल, 2012 के बाद प्राप्त हुई है (30.11.2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	डगामारा	बिहार	राज्य	130
2	शिवसमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345
3	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
4	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	141
5	छतरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	126
6	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200
7	दिखू	नागालैंड	निजी	186
8	किरू	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	624
9	रत्ले	जम्मू व कश्मीर	निजी	850
10	डेम्बे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1080
11	टगुरशिट	अरुणाचल प्रदेश	निजी	74
12	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	300
13	न्यू गंदरवाल	जम्मू व कश्मीर	राज्य	93
14	जेलम टमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	108
15	सच खास	हिमाचल प्रदेश	निजी	267
16	किरथई-I	जम्मू व कश्मीर	राज्य	390
17	उम्रगोट	मेघालय	राज्य	210
18	सुवानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800
19	न्यूकचरांग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
20	किंशी-I	मेघालय	निजी	270
21	कंगटांग शिरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
22	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186
23	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240
24	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	180
25	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	राज्य	1856
26	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	540
27	अट्टूनली एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	680

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2046 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए द्वारा सहमति प्राप्त हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमों की सूची (अप्रैल, 2012 के बाद)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता		प्राप्ति का माह/वर्ष	सीईए स्वीकृति की तिथि
				यूनिट x मेगावाट	मेगावाट		
1	दिखू	नागालैंड	निजी	3x62	186	04/12	31/03/14
2	छतरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	3x42	126	04/12	15/1/15
3	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	5x190+1x190+1x60	1200	04/12	27/3/15
4	रत्ले/जीवीकेआरएचईपी पीएल	जम्मू व कश्मीर	निजी	4x205+1x30	850	05/12	19/12/12
5	न्यू गंदरवाल	जम्मू व कश्मीर	राज्य	3x31	93	10/12	10/6/14
6	किंशी-I	मेघालय	निजी	2x135	270	02/13	31/3/15
7	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	3x62	186	05/13	28/10/15
8	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	3x80	240	07/13	28/07/15
9	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	3x60	180	11/13	31/03/14

लोक सभा में दिनांक 10.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2046 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

परीक्षणाधीन हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमों की सूची (30.11.2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	डगामारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	130
2	किरू	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	624
3	जेलम टमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	108
4	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	300
5	सच खास	हिमाचल प्रदेश	निजी	एलएंडटी एचएचपीएल	267
6	उम्रगोट	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	210
7	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	मैसर्स केएचईपीसीएल	1800
8	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीडीसी	1856
9	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	540
10	टगुरशिट	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एल एंड टी	74
11	अट्टुनली एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680
